वाणिज्यिक करों का आयुक्त और अन्य

बनाम

आर. एस. झावर और अन्य

9 अगस्त, 1967

[के.एन. वांचू सी.जे., आर. एस. बचावत, वी. रामास्वामी, जी. के. मीटर और के. एस. हेगड, जे. जे.]

मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 41- दायरा- उप-धारा (2) निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करना-खोज की शक्ति शामिल है या नहीं-उप-धारा (4) जब्त करने वाले अधिकारी को विक्रेता को कर का भुगतान करने का विकल्प देने के साथ-साथ पहली बिक्री के चरण से पहले एक अतिरिक्त राशि देने की शक्ति देती है जब टैक्स सामान्य रूप से देय हो जाता है-क्या यह अधिनियम की योजना के प्रतिकूल है और अमान्य है। उप-धारा (3) जब्ती को प्राधिकृत करना और उप-धारा (4) जब्ती को प्राधिकृत करना- क्या यह अनुचित प्रतिबंध और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) का उल्लंघन है।

19 अगस्त, 1964 को विभाग से संबंधित अधिकारी अपीलकर्ता ने एक कंपनी के परिसर पर छापा मारा और तलाशी ली और कुछ खातों और सामानों को जबरन हटा दिया। प्रत्यर्थियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं द्वारा विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी और यह प्रार्थना की गई है कि जब्त की गई वस्तुओं को वापस

कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मद्रास सामान्य बिक्री कर 1959 की संख्या 1 की धारा 41 के उचित निर्माण पर विभाग के अधिकारियों को परिसर की तलाशी लेने और वहां पाए गए किसी भी लेखा पुस्तक या सामान को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था; कि यदि धारा 41 (4) माल की जब्ती और जब्ती को अधिकृत करती है, तो यह राज्य विधान की वैधानिक क्षमता से परे था, क्योंकि यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की मद 54 द्वारा "माल की बिक्री या शुद्ध पीछा करने पर करों"से संबंधित नहीं था; और यदि धारा 41 में विभिन्न प्रावधान खोज और जब्ती को अधिकृत करने के रूप में समझे जाने सक्षम थे,

यदि एस में विभिन्न प्रावधान हैं। 41 वे खोज और जब्ती को अधिकृत करने में सक्षम थे, वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के उल्लंघन थे।

उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया कि एस. 41 (2) तलाशी लेने की अनुमति नहीं दी और केवल निरीक्षण के लिए प्रदान किया; एस 41 (4) में जब्ती या जब्ती की शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था; और वह एस 41 की उप-धाराएँ (2), (3) और (4) मे अनुचित प्रतिबंध शामिल थे और अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) का उल्लंघन करते थे। उच्च न्यायालय एक याचिका के संबंध में यह भी पाया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना सोचे

समझे सर्च वारंट जारी किया गया था और यह खराब था। इस न्यायालय में अपील करने पर।

अभिनिर्धारित किया: अपील को खारिज करते हुए,

(i) तलाशी के दौरान जो कुछ भी बरामद हुआ उसे वापस किया जाना चाहिए याचिकाकर्ताओं को संहिता की धारा 165 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के लिए आपराधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और एक मामले में उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तलाशी वारंट विभिन्न आधारों पर खराब था। ज़ब्त की गई चीज़ को वापस किया जाना चाहिए धारा 41 की उपधारा (4) के रूप में गिरना ही चाहिए। [163 बी-डी]।

उप-धारा (4) के दूसरे परंतुक का खंड (ए) अधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को ज़ब्त करने का आदेश देने की शक्ति देता है। जब्ती के बदले में भुगतान करने का विकल्प, उन मामलों में जहां माल अधिनियम के तहत कर योग्य है, कर की वसूली और एक अतिरिक्त राशि और इस प्रकार पहली बिक्री से पहले ही कर की वसूली का प्रावधान है। ए राज्य जो अधिकांश मामलों में समय का बिंदु है कर की वसूली। इस तरह यह पूरी योजना के लिए अप्रिय था अतः अधिनियम और उप-धारा (4) को निरस्त किया जाना चाहिए। जैसा कि खंड (ए) अधिकारी को विकल्प देने के लिए मजबूर करता है और इस प्रकार वसूली के लिए मजबूर करता है बिक्री के पहले बिंदु से पहले कर, जो में नहीं हुआ हो सकता है खुद व्यापारी से जब्त

किए गए माल के मामले, यह स्पष्ट रूप से अभिप्रेत है विधायिका द्वारा धारा के मुख्य भाग के साथ मिलकर जाने के लिएऔर इसलिए अलग करने योग्य नहीं है, [159F-160D]

(ii) हालांकि आम तौर पर कहें तो निरीक्षण करने की शक्ति खोजने की शक्ति नहीं है जबकि धारा 41(2) के मामले में शक्ति है न केवल लेखा रजिस्टरों, अभिलेखों, वस्तुओं वगैरह, का निरीक्षण करने के लिए दिया गया है बल्कि कार्यालयों, दुकानों आदि का निरीक्षण करने के लिए भी, ये दोनों शक्तियां मिलकर संबंधित अधिकारी को कार्यालयों मे प्रवेश आदि की तलाशी करने की शक्ति देने के समान हैं और यदि उसे इसमें कोई खाता या सामान मिलता है कार्यालयों, दुकानों आदि का निरीक्षण करना। इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि उपधारा (2) के अंतर्गत तलाशी की कोई शक्ति नहीं थी।[154H-155E]

उप-धारा (2) के लिए यह प्रावधान करने का परंतुक कि सभी खोजें "इस उप-धारा" के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा, जो कि उप-धारा (2) के मुख्य भाग की खोजों पर विचार करता है। इसी तरह यह उप-धारा (3) से स्पष्ट है जो खातों आदि को जब्त करने की शक्ति देता है, कुछ परिस्थितियों में, कि उप-धारा (2) में उप-धारा (3) के तहत जब्ती की खोज की शक्ति शामिल होनी चाहिए यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई खोज न हो, [156डी-ई। 158बी-सी]

यह तर्क कि उप-धारा (2) के मुख्य भाग के रूप में नहीं है इससे पहले कि परंतुक अन्य हो, अस्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि आम तौर पर ए परंतुक अनुभाग के मुख्य भाग का एक अपवाद है यह माना जाता है कि असाधारण मामलों में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, परंतुक स्वयं एक ठोस प्रावधान हो सकता है। [156 डी-एफ]

बिलोंडा शहरी जिला परिषद बनाम टैफ वेले रेलवे कंपनी,एल.आर. [1909] ए.सी 253: आय आयुक्त-तार बनाम नंदलाल भंडारी और सन्स(1963) 47 आई. टी. आर. 803 और राजस्थान राज्य बनाम लीला जैन, [1965] 1 एस.सी.आर. 276, संदर्भित।

(ii) धारा 41 की उपधारा (2) और (3) अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं हैं जैसे कि वे संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाज (5) व (6) से संरक्षित हैं। [162 एफ-जी]।

उच्च न्यायालय ने यह गलत मान लिया था कि के प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 41(2) के तहत तलाशी पर लागू नहीं होती। सीआरपी.सी. की धारा 165 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के दृश्य में और उस संहिता के अध्याय VII में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उप-धारा (2) में प्रदान की गई खोज की शक्ति खोज का उद्देश्य, अर्थात् कर चोरी की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रतिबंध नहीं है। [161 ई जी]

केवल यह तथ्य कि अधिनियम सरकार को किसी भी अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार देने की शक्ति देता है, रद्द करने का कोई कारण नहीं है इसके लिए जो प्रावधान है, उससे यह नहीं माना जा सकता कि सरकार ऐसा नहीं करेगी उचित स्थिति वाले अधिकारियों को तलाशी लेने के लिए सशक्त बनाना। [160-एच]।

उप-धारा (3) के तहत जब्ती की शक्ति का प्रयोग करना संबंधित को अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, जब्त खातों की रसीद देनी होगी और केवल जब्त की गई वस्तुओं को ही अपने पास रख सकता है अगले उच्च अधिकारी की अनुमति से 30 दिनों की अवधि से अधिक अधिकारी। ये पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और उप-धारा (3) द्वारा संपत्ति रखने के अधिकार और व्यापार करने के अधिकार पर प्रतिबंध, यदि कोई हो, को उचित प्रतिबंध माना जाना चाहिए। [162 डी-जी]।

जबकि अदालत ने माना कि विधानमंडल के पास प्रदान करने की शक्ति है कराधान कानूनों के संबंध में तलाशी और जब्ती के लिए चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है, यह सामान्य प्रश्न तय नहीं करता है कि तलाशी में पाए जाने वाले सामान को जब्त करने की शक्ति क्या है और जो व्यापारी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, कर चोरी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक एक सहायक शक्ति है। [159 सी-डी]

के. एस. पापन्ना और एक अन्य बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, गुंककल (1967) XIX एस.टी.सी. 506; संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 150-154/1967

मद्रास उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1321, 1456, 1495, 1496 और 1964 का 1553 के पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26 फरवरी, 1965 से उत्पन्न।,

एस. वी. गुप्ते, सिलिसिटर-जनरल, वी. रामास्वामी और ए. वी. रंगम,अपीलार्थी के लिए (सी.ए. नं. 150, 153 1967 में)।

के.एन. मुदलियार, महाधिवक्ता, मद्रास, वी. रामास्वामी और ए.वी. रंगम, अपीलार्थी के लिए (1967 के सी.ए. सं. 154 में)।

उत्तरदाताओं के लिए एन. सी. चटर्जी और आर. गणपति अय्यर (1967 के सी.ए. सं. 150, 151 और 154 में)

ए. जी. पुडिसेरी, मध्यस्थ के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वांचू, सी. जे.-मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर ये पांच अपीलें कानून के सामान्य प्रश्न उठाती हैं और इन्हें एक साथ निपटाया जाएगा। हम वर्तमान अपीलों में निर्णय लिए जाने वाले प्रश्नों को समझने के लिए रिट याचिका संख्या 1321/1964 से उत्पन्न अपीलों में से एक (1967 की संख्या 150) में संक्षिप्त तथ्य देंगे। 19 अगस्त, 1964 को शाम लगभग 5.00 बजे वाणिज्यिक कर विभाग (बाद में विभाग के रूप में संदर्भित) के अधिकारियों ने जेनिथ लैंप्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) के परिसर पर छापा मारा। ऐसा कहा जाता

है कि परिसर की तलाशी ली गई और एक सूट-केस जब्त कर लिया गया और छापा मारने वाले अधिकारियों द्वारा जबरन हटा दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें सूचित किया गया था कि बॉक्स में कंपनी और उसके से संबंधित कोई कागजात या दस्तावेज नहीं थे। सामग्री में केवल प्रबंध निदेशकों में से एक, श्री रामकृष्ण श्रीकिशन झावेर के व्यक्तिगत प्रभाव शामिल थे। छापेमारी और तलाशी संबंधित अधिकारियों द्वारा इस सूचना पर की गई थी कि कंपनी के निदेशकों में से एक श्री गोयनका ने इससे संबंधित गुप्त खातों वाला एक बॉक्स हटा दिया था। अपनी प्रार्थना के समर्थन में याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क कि जब्त की गई वस्तुएं उसे वापस कर दी जानी चाहिए, तीन शीर्षकों के तहत थी। सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1959 की संख्या 1 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 41 के उचित निर्माण पर, विभाग के अधिकारियों के पास परिसर की तलाशी लेने और खाता बही या उसमें पाया गया माल जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि यदि धारा 41 (4) माल की जब्ती और जब्ती को अधिकृत करती है, तो यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है, क्योंकि इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के "बिक्री या खरीद पर कर"से संबंधित आइटम 54 में शामिल नहीं किया जा सकता है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि धारा 41 के विभिन्न प्रावधानों को तलाशी और जब्ती को अधिकृत करने के रूप में समझा जा सकता है, इसमें शामिल

प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के मद्देनजर असंवैधानिक थे।

अन्य याचिकाओं में तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष अन्य अपीलें हुई हैं क्योंकि उन मामलों में भी विभाग के अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती की गई थी और उनकी कार्रवाई पर उसी आधार पर हमला किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से सभी याचिकाओं का विरोध किया गया और उसका मामला सबसे पहले यह था कि धारा 41 तलाशी और जब्ती को अधिकृत करती है; दूसरे, कि राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के आइटम 54 के तहत धारा 41 (4) को अधिनियमित करने के लिए सक्षम था और तीसरा, कि विचाराधीन प्रावधान कला का उल्लंघन नहीं करते थे। संविधान के 19 (1) (एफ) और (जी) और किसी भी मामले में अनुच्छेद 19 (5) और (6) द्वारा संरक्षित थे।

उच्च न्यायालय ने माना कि एस. 41 (2) इसके तहत तलाशी की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि इसमें केवल निरीक्षण का प्रावधान था और वह तलाशी निरीक्षण से बिल्कुल अलग चीज थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि धारा 41 (2) में तलाशी का प्रावधान है तो यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर होगा। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि उप-धारा (4) में निहित माल की जब्ती और जब्ती की शक्ति को माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की शक्ति के लिए

सहायक और आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है और और इसलिए यह प्रावधान राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था। अंत में, उच्च न्यायालय ने उस उप-धारा को माना। धारा 4 के (2), (3) और (4) असंवैधानिक थे क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध थे। उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालय ने एक याचिका के संबंध में यह भी पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा आवासीय घर की तलाशी के लिए जारी किए गए सर्च वारंट से पता चला कि मजिस्ट्रेट ने तलाशी की आवश्यकता के बारे में अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आवासीय घर, मुद्रित तलाशी वारंट में जिन स्तंभों को काटा जाना चाहिए था, उन्हें नहीं हटाया गया। इसके अलावा मुद्रित फॉर्म में कमियां, जो वारंट जारी होने से पहले भरी जानी चाहिए थीं, नहीं भरी गईं। उन दो परिस्थितियों से उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवासीय घर के लिए तलाशी वारंट बिना दिमाग लगाए जारी किया गया था। मजिस्ट्रेट को आवासीय मकान की तलाशी की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि जब्ती का आदेश देने से पहले धारा 41 (4) का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था और डीलर को यह दिखाने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था कि जब्त और जब्त किए गए माल का उसके खातों में हिसाब नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि याचिकाओं में शामिल दस्तावेजों, चीजों और सामानों

को विभाग 2 द्वारा खातों से ली गई तस्वीरों, नकारात्मक, अनुवाद और नोट्स आदि के साथ याचिकाकर्ताओं को वापस कर दिया जाना चाहिए । इसके बाद मद्रास राज्य ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन किया और उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया और इस तरह यह मामला हमारे सामने आया है।

अपीलकर्ता की ओर से वही तीन सवाल हमारे सामने उठाए गए हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे। हालाँकि, इससे पहले कि हम उनसे निपटें, हम संक्षेप में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। - धारा 3 मुख्य चार्जिंग धारा है जो यह प्रदान करती है कि "प्रत्येक डीलर जिसका एक वर्ष के लिए कुल कारोबार रुपये से कम नहीं है 10,000......... को प्रत्येक वर्ष के लिए अपने कर योग्य टर्नओवर के 2 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा।" जिस बिंदु पर कर योग्य वस्तुओं पर कर का भुगतान किया जाना है, वह अधिनियम की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है और यह दिखाएगा कि अधिकांश मामलों में कर का भुगतान राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर किया जाना है। हालाँकि कुछ मामलों में इसका भुगतान राज्य में पहली खरीद या आखिरी खरीद के समय करना पड़ता है। धारा 4 घोषित माल के संबंध में एक और चार्जिंग अनुभाग है और अधिनियम की दूसरी अनुसूची उस बिंदु से संबंधित है जिस पर ऐसे माल के संबंध में कर का भुगतान किया जाना है। उस अनुसूची से यह भी पता चलता है कि अधिकांश

मामलों में कर का भुगतान राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर किया जाना था, हालांकि कुछ मामलों में इसका भुगतान राज्य में पहली खरीद या राज्य में अंतिम खरीद के बिंदु पर किया जाना था। तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार कुछ वस्तुओं को अधिनियम के तहत कर से छूट दी गई है और इस प्रकार वे कर योग्य टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनते हैं, हालांकि वे प्रति वर्ष कुल टर्नओवर की गणना के प्रयोजनों के लिए टर्नओवर का हिस्सा होंगे। अधिनियम फर्मों और डीलरों के पंजीकरण, अधिकारियों की नियुक्ति, कर संग्रह, जुर्माना लगाने और अपील और संशोधन के लिए प्रावधान करता है। यह डीलरों पर एक सच्चा और सही खाता बनाए रखने का कर्तव्य भी डालता है। इसके बाद धारा 41 आती है

जिससे हम विशेष रूप से चिंतित हैं। यह इन शब्दों में हैः

> "(1) इस संबंध में सरकार द्वारा सशक्त कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी भी डीलर से उसके समक्ष खाते, रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपने व्यवसाय से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
>
> (2) किसी डीलर द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान बनाए गए सभी खाते, रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज उसके कब्जे में मौजूद सामान और उसके कार्यालय, दुकानें,

गोदाम, जहाज या वाहन सभी उचित समय पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।"

बशर्ते कि किसी भी आवासीय आवास (जो व्यवसाय-सह-निवास का स्थान न हो) में ऐसे अधिकारी द्वारा प्रवेश या तलाशी नहीं की जाएगी, सिवाय उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तलाशी वारंट के अधिकार के अलावा, और इस उपधारा के तहत सभी तलाशी, जहां तक संभव हो, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम V)। के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(3) यदि ऐसे किसी अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई डीलर इस अधिनियम के तहत उसे देय किसी कर, शुल्क या अन्य राशि के भुगतान से बचने का प्रयास कर रहा है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे खातों को जब्त कर सकता है। डीलर के रजिस्टर, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज, जैसा कि वह आवश्यक समझे, और डीलर को उसके लिए एक रसीद देगा। खाते, रजिस्टर, अभिलेख और दस्तावेज़। इस प्रकार जब्त किए गए सामान को ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक ही रखा जाएगा जब तक उनकी जांच और इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए आवश्यक हो।

बशर्ते कि ऐसे खातों, रजिस्टरों और दस्तावेजों को अगले उच्च प्राधिकारी की अनुमति के बिना एक समय में तीस दिनों से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा।

(4) ऐसे किसी भी अधिकारी को किसी भी कार्यालय में पाए जाने वाले किसी भी सामान को जब्त करने और जब्त करने की शक्ति होगी। दुकान, गोदाम, जहाज, वाहन, या व्यवसाय का कोई अन्य स्थान या डीलर की कोई इमारत या स्थान, लेकिन टाइल डीलर द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान बनाए गए रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को उसके खातों में दर्ज नहीं किया गया है।

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत माल की जब्ती का आदेश देने से पहले अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और निर्धारित तरीके से पूछताछ करेगा:

बशर्ते कि जब्ती का आदेश देने वाला अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले भुगतान करने का विकल्प देगा-

(ए) ऐसे मामलों में जहां माल इस अधिनियम के तहत कर योग्य है, कर वसूली योग्य कर के अलावा एक हजार रुपये से अधिक की धनराशि या वसूली योग्य कर की राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो; और

(बी) अन्य मामलों में. धनराशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं।

स्पष्टीकरण-सरकार उप-धारा (1) (2) और (3)"के तहत कार्रवाई के लिए विभिन्न वर्गों के अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र होगी।

अधिनियम के प्रावधानों की उपरोक्त संक्षिप्त समीक्षा से यह देखा जाएगा कि यह मुख्य रूप से राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर लगाए जाने वाले बिक्री कर से संबंधित है। हालाँकि कुछ मामलों में खरीद कर का भी

प्रावधान है। इसी पृष्ठभूमि में हमें अधिनियम की धारा 41 के निर्माण पर विचार करना होगा। जहां तक उप-एस (1) का सवाल है, कोई कठिनाई नहीं है। यह सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी भी अधिकारी को अधिकार देता है कि वह किसी भी डीलर से उसके समक्ष लेखा रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज पेश करने और अपने व्यवसाय से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सके। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार ने विभाग के सभी अधिकारियों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से कम रैंक के नहीं, राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को एक निरीक्षक से कम रैंक के नहीं और पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को जो कि एक निरीक्षक से कम रैंक के नहीं हैं, अधिकार दिया है। एक सब-इंस्पेक्टर की तुलना में धारा 41 उप-एस.एस. (2) से (4) के तहत कार्य करना होगा। संभवतः. जहां तक उप-एस. (1) का संबद्ध है, प्रावधान के तहत केवल विभाग के अधिकारी ही कार्य कर सकते हैं। हालाँकि, उस उपधारा के संबंध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा यानी, कर की वसूली और अपराधों के लिए अभियोजन सहित सभी चरणों में मूल्यांकन कार्यवाही के संदर्भ में। यह विवादित नहीं है कि उप-एस के तहत शक्ति। (1) इसका प्रयोग केवल डीलर को उसके व्यवसाय से संबंधित खाते इत्यादि प्रस्तुत करने की आवश्यकता के लिए किया जा सकता है, किसी अन्य निकाय के नहीं।

मुख्य विवाद धारा 41 की उपधारा (2) की व्याख्या पर केन्द्रित है। उत्तरदाताओं की ओर से तर्क यह है कि वह प्रावधान परिसर की तलाशी को अधिकृत नहीं करता था, बल्कि अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा उचित समय पर उसके निरीक्षण का प्रावधान करता था। हम सबसे पहले उप-एस (2) के मुख्य भाग से यह देखने के लिए निपटेंगे कि परंतुक के संदर्भ के बिना यह क्या प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) तीन चीजों का प्रावधान करती है, अर्थात्-- (1) सभी खाते. किसी डीलर द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान बनाए गए रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, (ii) डीलर के कब्जे में मौजूद सामान भी निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, और (iii) डीलर के कार्यालय, दुकानें, गोदाम, जहाज या वाहन भी निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-शब्दों (2) खोज की शक्ति देने का कोई विशिष्ट शब्द नहीं हैं। लेकिन अगर हम उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त तीन शक्तियों को पढ़ें तो यह मानना मुश्किल नहीं होगा कि खोज उसमें शामिल है। उप-धारा (1) में डीलर को अपने खाते आदि प्रस्तुत करने और अपने व्यवसाय से संबंधित अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और यह डीलर पर छोड़ दिया जाता है कि वह अपने पास मौजूद खातों को प्रस्तुत करे। हालाँकि विधायिका इस तथ्य से अवगत थी कि एक डीलर उप-धारा (1) के तहत आवश्यक होने पर भी सभी खाते प्रस्तुत नहीं कर सकता है या गलत जानकारी नहीं दे सकता है। इसलिए, उप-धारा (2) में

प्रावधान है कि डीलर के बीमार खाते आदि निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। यह डीलर के कार्यालयों को भी प्रदान करता है। दुकानें, गोदाम, जहाज या वाहन निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। यह सच है कि आम तौर पर निरीक्षण करने की शक्ति आवश्यक रूप से खोज करने की शक्ति नहीं देती है। लेकिन जहां, इस मामले में, न केवल एक डीलर द्वारा बनाए गए खातों, रजिस्टरों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है, बल्कि उसके कार्यालयों, दुकानों, गोदामों, जहाजों या वाहनों का भी निरीक्षण करने की शक्ति दी गई हैै। यह इस प्रकार है कि अधिकार प्राप्त अधिकारी करेगा निरीक्षण आदि प्रयोजनों के लिए कार्यालयों में प्रवेश करने का अधिकार है। स्वाभाविक रूप से उसका निरीक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए होगा अर्थात यह देखने के लिए कि कर की कोई चोरी न हो। इसलिए यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी को कार्यालयों आदि के निरीक्षण के दौरान दुकान में कोई खाता, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज मिलते हैं, तो वे खाते आदि भी निरीक्षण के लिए खुले होंगे। इसलिए इन दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अधिकार प्राप्त अधिकारी को यह अधिकार है; कार्यालयों आदि में प्रवेश करना और उनका निरीक्षण करना, और यदि ऐसे निरीक्षण में उसे खाते आदि मिलते हैं तो उसे उनका निरीक्षण करने की भी शक्ति है और यह देखने के लिए कि क्या वे व्यवसाय से संबंधित हैं। हमारी राय में इन दोनों शक्तियों को एक साथ लेने का मतलब यह है कि अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास कार्यालय आदि की

तलाशी लेने और उसमें पाए गए खातों आदि का निरीक्षण करने की शक्ति है। यद्यपि उप-धारा (2) में "खोज"शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, निरीक्षण के लिए कार्यालयों आदि में प्रवेश करने और एक डीलर द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में बनाए गए हर प्रकार के खाते का निरीक्षण करने की ये दो शक्तियां एक साथ देने के समान हैं। संबंधित अधिकारी को कार्यालयों आदि में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति है और यदि उसे कार्यालयों, दुकानों आदि में कोई खाता मिलता है तो उनका निरीक्षण करने की शक्ति है। अन्यथा हमें विधायिका द्वारा सशक्त अधिकारी को निरीक्षण के उद्देश्य से कार्यालयों आदि में प्रवेश करने की शक्ति देने का कोई मतलब नहीं दिखता क्योंकि संबंधित अधिकारी केवल डीलर द्वारा रखे गए सभी खातों आदि का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसा करेगा और यदि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते हैं कि उप-धारा (2) में खोज की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि शर्तों में उपधारा खोज के लिए प्रदान नहीं करती है।

इसी तरह अधिकारी को विक्रेता के कब्जे में माल का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। उसके पास ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिए डीलर के कार्यालयों आदि में प्रवेश करने की भी शक्ति है। इन दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाकर यह एक ही तर्क पर आधारित है कि अधिकारी के पास सामान की खोज करने और डीलर के कार्यालयों आदि में पाए जाने पर उनका निरीक्षण करने की भी शक्ति है। इसलिए हमें इस निष्कर्ष पर

पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि खोज की शक्ति डीलर द्वारा बनाए गए संदर्भ खातों आदि और डीलर के कब्जे में मौजूद सामान के साथ उप-धाराओं (2) में निहित है। हमें यह भी प्रतीत होता है कि उप-स (2) में यह शक्ति दफ्तरों, दुकानों, गोदामों और डीलर के जहाज और वाहन तक ही सीमित है और उनसे आगे नहीं जाती है। अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि चूंकि अधिकारी सभी खातों आदि का निरीक्षण करने का हकदार है। डीलर द्वारा बनाए रखा गया वह डीलर के आवासीय परिसर में भी उन्हें खोज सकता है। लेकिन हम इस विवाद से सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने कार्यालयों आदि के निरीक्षण की शक्ति, खातों आदि के निरीक्षण की शक्ति और वस्तुओं के निरीक्षण की शक्ति को पढ़कर खोज की शक्ति पाई है। उप-एस. (2) डीलर के आवासीय, आवास का निरीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं देता है और इसलिए इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवासीय घर की तलाशी की शक्ति देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन चाहे वह व्यवसाय-सह-निवास का मामला हो, तलाशी की शक्ति होगी, क्योंकि उप-धारा (2) के तहत डीलर के सभी कार्यालय, दुकानें, गोदाम, जहाज या वाहन निरीक्षण के लिए खुले हैं।

आइए, अब देखें कि परंतुक द्वारा उपधारा (2) की व्याख्या पर क्या प्रकाश पड़ता है और क्या हमने उपधारा (2) के मुख्य भाग की जो व्याख्या की है, वह परंतुक द्वारा समर्थित है। प्रावधान में कहा गया है कि (i) ऐसे अधिकारी द्वारा किसी भी विशुद्ध आवासीय आवास में प्रवेश या

तलाशी नहीं की जाएगी, सिवाय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तलाशी वारंट के अधिकार के अलावा और (ii) कि इस उप-धारा के तहत सभी खोजें, जहां तक संभव हो, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। परंतुक का उत्तरार्द्ध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उप-धारा (2) का मुख्य भाग खोजों पर विचार करता है, क्योंकि यह इस उप-धारा के तहत की गई सभी खोजों को संदर्भित करता है। यदि प्रावधान के दूसरे भाग में संदर्भ केवल प्रावधान के पहले भाग के तहत की गई खोजों तक ही सीमित था, तो शब्द होंगे "इस प्रावधान के तहत सभी खोजें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

> "इसलिए परंतुक उस निर्माण को दर्शाता है जो हमने उप-धारा (2) के मुख्य भाग पर रखा है। लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि एक परंतुक कुछ ऐसा तैयार करता है जो पहले से ही मुख्य प्रावधान में निहित है और किसी भी दर पर मुख्य प्रावधान पूरी तरह से आवासीय आवास की खोज के लिए प्रदान नहीं करता है। अतः परन्तुक अप्रासंगिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। सामान्यतया, यह सच है कि परंतुक अनुभाग के मुख्य भाग का अपवाद है; लेकिन यह माना जाता है कि असाधारण मामलों में एक परंतुक स्वयं एक मूल प्रावधान हो सकता है। इस संबंध में हम बिलोंडा शहरी जिला परिषद बनाम टैफ

वेले रेलवे कंपनी का संदर्भ ले सकते हैं, जहां विचाराधीन अधिनियम की धारा 51 को पूर्ववर्ती धाराओं के प्रावधान के रूप में तैयार किया गया था। हालाँकि, लॉर्ड चांसलर ने बताया कि " हालाकि धारा 51 को पिछले खंडों पर एक प्रावधान के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन यह सच है कि इसका उत्तरार्द्ध, हालांकि एक परंतुक के रूप में है, वास्तव में एक नया अधिनियम है, जो पहले जो चल रहा है उसे जोड़ता है और न केवल उसे योग्य बनाता है।"

आयकर आयुक्त बनाम नंदलाल भंडारी एंड संस मामले में भी

यह देखा गया कि "आमतौर पर एक परंतुक उस प्रावधान के अर्थ को बढ़ाने के बजाय सीमित करता है जिसमें इसे जोड़ा जाता है, कभी-कभी विधायिका एक परंतुक में एक ठोस समर्थक दृष्टि का प्रतीक होती है। यह प्रश्न कि क्या कोई परंतुक मूल प्रावधान के अपवाद या शर्त के रूप में है, या क्या यह अपने आप में एक मूल प्रावधान है, इसका निर्धारण प्रावधान के सार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके स्वरूप पर।"

अंततः राजस्थान राज्य बनाम लीला जैन में यह प्रश्न उठा कि क्या विचाराधीन अधिनियम के परंतुक में मुख्य प्रावधान को सीमित करने का

प्रावधान था या यह अपने आप में एक ठोस प्रावधान था। इस न्यायालय ने कहा कि "जहां तक प्रावधान के निर्माण के सामान्य सिद्धांत का सवाल है, यह मोटे तौर पर कहा गया है कि प्रावधान का कार्य खंड के मुख्य भाग को सीमित करना और कुछ ऐसा बनाना है जो प्रावधान के अलावा होता ऑपरेटिव भाग के भीतर।"लेकिन आगे यह देखा गया कि उस विशेष मामले में प्रावधान वास्तव में स्वीकृत अर्थ में एक प्रावधान नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र विधायी प्रावधान था जिसके द्वारा धारा के मुख्य भाग द्वारा निषिद्ध एक उपाय के लिए एक विकल्प प्रदान किया गया था।

इन तीन मामलों से पता चलता है कि असाधारण परिस्थितियों में एक प्रावधान वास्तव में स्वीकृत अर्थ में एक प्रावधान नहीं हो सकता है, बल्कि स्वयं एक वास्तविक प्रावधान हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि अभी विचाराधीन परंतुक इस असाधारण प्रकृति का है। जैसा कि हमने पहले ही माना है, उपधारा के मुख्य भाग में विशुद्ध रूप से आवासीय परिसर की खोज के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जब परंतुक ऐसी खोज के लिए प्रावधान करता है तो यह उप-धारा के मुख्य भाग से स्वतंत्र कुछ प्रदान करता है। इसके अलावा परंतुक का दूसरा भाग जो इस उप-धारा के तहत की गई खोजों की बात करता है, दर्शाता है कि उप-धारा के मुख्य भाग में प्रदान की गई निरीक्षण की शक्ति खोज की शक्ति के समान है। हम परंतुक से स्वतंत्र होकर पहले ही उस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। यहां हमें बस इतना ही कहना है कि परंतुक यह भी दर्शाता है कि वह

व्याख्या सही है। हम यह जोड़ सकते हैं कि हमें उपधारा के मुख्य भाग की व्याख्या करने में प्रावधान को देखने से रोका नहीं गया है। इस संबंध में हम मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ग्यारहवें संस्करण में पृष्ठ 155 पर निम्नलिखित अंश का उल्लेख कर सकते हैं जहां यह देखा गया है-

> "ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले या अधिनियमित भाग को प्रावधान के संदर्भ के बिना समझा जाए। 'उचित तरीका निर्माण के व्यापक सामान्य नियम को लागू करना है, जो यह है कि एक खंड या अधिनियमन को 'संपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए, प्रत्येक भाग, यदि आवश्यक हो, शेष पर प्रकाश डालता है'।
>
> "निस्संदेह सच्चा सिद्धांत यह है कि कानून की ध्वनि व्याख्या और अर्थ, अधिनियमित खंड, बचत खंड और प्रावधान के दृष्टिकोण पर, एक साथ लिया और समझा जाता है।"

लेकिन लेकिन जैसा कि हमने प्रावधान को देखे बिना भी पहले ही कहा है, हमारा निष्कर्ष यह है कि उप-धारा (2) का मुख्य भाग खोजों के लिए प्रदान करता है और प्रावधान केवल उस निष्कर्ष को लागू करता है। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते हैं कि उपधारा (2)

किसी डीलर के कार्यालयों आदि के रूप में उसके व्यावसायिक परिसर की तलाशी का प्रावधान नहीं करती है।

फिर हम उपधारा(3) पर आते हैं। यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई डीलर किसी कर के भुगतान से बचने का प्रयास कर रहा है, तो खातों आदि को जब्त करने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत उससे देय शुल्क या अन्य राशि। यदि उसके पास ऐसा कोई कारण है तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे खातों आदि को जब्त कर सकता है। अब यदि उप-धारा (2) खोज की शक्ति देती है, तो उप-धारा (3) केवल खातों आदि को जब्त करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। ऐसे सर्च करने पर मिला. हम पहले ही मान चुके हैं कि उप-धारा (2) तलाशी की शक्ति देती है और उस स्थिति में उप-धारा (3) केवल उप-धारा (2) का पूरक है और अधिकार प्राप्त अधिकारी को जब्त करने की शक्ति देता है। कुछ परिस्थितियों में खाते मिले। यदि कुछ भी हो, तो उप-धारा (3) यह भी बताती है कि उप-धारा (2) में उप-धारा (3) के तहत जब्ती के लिए खोज की शक्ति शामिल होनी चाहिए, जब तक कि कोई खोज न हो, यह संभव नहीं है। इसलिए उप-धारा (2), इसके परंतुक और उप-धारा (3) को एक साथ पढ़ने पर हमारी राय है कि वे बिना वारंट के तलाशी और जब्ती का प्रावधान करते हैं, सिवाय इसके कि यदि तलाशी की गई जगह पूरी तरह से आवासीय आवास है तो इसकी तलाशी बिना वारंट के नहीं की जा सकती है। मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट.

यह स्वाभाविक रूप से इस प्रकार है कि यदि तलाशी वारंट के बिना इसकी तलाशी नहीं ली जा सकती है तो यह अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए आवासीय आवास से कुछ भी जब्त करने के लिए खुला नहीं है क्योंकि वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है और तब तक तलाशी नहीं ले सकता है जब तक कि उसके पास ऐसा करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट न हो।

अगला प्रश्न राज्य, विधायिका की उप-धाराओं (4) को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता से संबंधित है। यह उपधारा तलाशी के बाद किसी भी कार्यालय आदि में पाए गए किसी भी सामान को जब्त करने और जब्त करने का प्रावधान करती है, जिसमें विशुद्ध रूप से आवासीय आवास भी शामिल है, यदि डीलर के व्यवसाय के दौरान बनाए गए खातों में उनका हिसाब नहीं दिया जाता है। उप-धारा इस प्रकार उस प्रक्रिया को पूरा करती है जो उप-धारा (1) से शुरू होती है और अधिकार प्राप्त अधिकारी को उसमें बताए गए प्रकृति के सामान को जब्त करने और जब्त करने का अधिकार देती है। उत्तरदाताओं की ओर से तर्क यह है कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदान की गई जब्ती की शक्ति आइटम 54, सूची II माल की बिक्री और खरीद पर कर से संबंधित सातवीं अनुसूची के तहत राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं थी। वहीं दूसरी ओर। अपीलकर्ता माल को जब्त करने और जब्त करने की शक्ति को इस आधार पर उचित ठहराता है कि यह कर लगाने की शक्ति का सहायक और आकस्मिक है, क्योंकि कर की चोरी को रोकने और इसे लाभहीन बनाने के लिए ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है।

उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम माल पर एक कानून नहीं था और तलाशी में पाए गए माल को जब्त करने का प्रावधान न तो प्रासंगिक था और न ही आइटम 54 सातवीं अनुसूची की सूची में निहित कर लगाने की शक्ति का सहायक था। अब इस बात पर विवाद नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है कि सातवीं अनुसूची की विभिन्न सूचियों की प्रविष्टियों की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अनुसूची में किसी भी प्रविष्टि के तहत कानून बनाते समय विधायिका ऐसे सभी आकस्मिक और सहायक प्रावधान करने के लिए सक्षम है जो कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं; विशेष रूप से इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी कर संबंधी क़ानून के मामले में विधायिका ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है जो कर चोरी पर रोक लगेगी। चोरी रोकने की इस शक्ति के तहत ही कई कर कानूनों में तलाशी और जब्ती का प्रावधान किया गया है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि विधायिका के पास कराधान कानूनों के संबंध में खोज और जब्ती प्रदान करने की शक्ति है ताकि चोरी की जांच की जा सके। अपीलकर्ता की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि जिन वस्तुओं को खातों में दर्ज नहीं किया गया है, उन्हें जब्त करना कर चोरी को रोकने के लिए सहायक प्रकृति का प्रावधान है, जिससे डीलरों के लिए उन वस्तुओं को छिपाना अलाभकारी हो जाता है, जिनका वे व्यापार कर रहे हैं। इस संबंध में भरोसा केएस पपंतना और अन्य बनाम उप वाणिज्यिक

कर अधिकारी, गुंतकल, पर रखा गया है, जहां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, (1957 की संख्या 6) में धारा 28 में एक समान प्रावधान को बरकरार रखा था।

हम वर्तमान मामले में सामान्य प्रश्न का निर्णय करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या तलाशी में पाए गए सामान और जो डीलर की खाता पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, को जब्त करने की शक्ति कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक सहायक शक्ति है। यह मानते हुए भी, हमें अभी भी यह देखना होगा कि क्या अधिनियम की उप-धारा (4) को उसके दूसरे प्रावधान के साथ पढ़ा जा सकता है। यह जोड़ा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 28 में दूसरे प्रावधान जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की सत्यता के बारे में कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। मद्रास जनरल सेल्स टैक्स (दूसरा संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पहले, धारा 41 की उप-धाराएँ (4)। 1 अप्रैल, 1961 से, ज़ब्ती का आदेश देने से पहले मामले में सुनवाई का अवसर देने और जांच करने के संबंध में केवल पहला प्रावधान था। 1961 के संशोधन द्वारा दूसरा परन्तुक जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि जब्ती का आदेश देने वाला अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले भुगतान करने का विकल्प देगा। ऐसे मामलों में जहां सामान अधिनियम के तहत कर योग्य हैं। वसूली योग्य कर के अतिरिक्त, एक हजार रुपये से अधिक धनराशि या वसूली योग्य कर

की राशि का दोगुना नहीं। इनमें से जो भी अधिक होता है। इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से जब्ती का आदेश देने वाले अधिकारी को दो काम करने की आवश्यकता है (i) संबंधित व्यक्ति को वसूली योग्य कर का भुगतान करने का आदेश देना। और (ii) एक हजार रुपये से अधिक या वसूली योग्य कर की दोगुनी राशि का भुगतान करना। इनमें से जो भी अधिक होता है। हमने पहले ही संकेत दिया है कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश मामलों में कर राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर देय है। लेकिन दूसरे परंतुक के सीएल.(ए) के तहत बिक्री से पहले ही कर वसूलने का आदेश दिया गया है, इसके अलावा जुर्माना रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 1,000 या वसूली योग्य कर की राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो। इसलिए दूसरे परंतुक का खंड (ए) स्पष्ट रूप से अधिनियम की सामान्य योजना के प्रतिकूल है, जो अधिकांश मामलों में राज्य में पहली बिक्री के बिंदु पर कर की वसूली का प्रावधान करता है। इस प्रतिकूलता को देखते हुए इन दोनों प्रावधानों में से कोई न कोई प्रावधान अवश्य गिरना चाहिए। स्पष्टतः यह सीएल (ए) प्रावधान में जो परिस्थितियों के तहत गिरना चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं मान सकते कि कर योग्य घटना होने से पहले भी, दूसरे प्रावधान के सीएल (ए) के तहत कर की वसूली के संबंध में इस असंगतता के कारण पूरा अधिनियम गिरना चाहिए अधिकांश मामलों में जो अधिनियम के अंतर्गत कवर होंगे। इसलिए, हमारी राय है कि दूसरे परंतुक का खंड (ए) अधिनियम की संपूर्ण योजना के प्रतिकूल है,

जहां तक यह राज्य में पहली बिक्री से पहले भी कर की वसूली का प्रावधान करता है, जो कि समय का बिंदु है। अधिकांश मामलों में कर की वसूली प्रतिकूलता के आधार पर की जानी चाहिए।

आगे आग्रह किया गया है कि किसी भी स्थिति में दूसरा प्रावधान अलग करने योग्य है और इसलिए केवल यह प्रावधान लागू होगा, न कि उप-धारा (4) का मुख्य भाग। तथापि हमारी राय है कि सी.एल. (ए) दूसरे परंतुक का विच्छेदन योग्य नहीं है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मूल रूप से दूसरा प्रावधान अधिनियम में नहीं था। इसे 1961 के संशोधन द्वारा लाया गया था और यह अधिकारी को 'विकल्प'देने के लिए बाध्य करता है, और इस प्रकार उन मामलों में भी कर की वसूली के लिए बाध्य करता है जहां कर केवल राज्य में बिक्री के पहले बिंदु पर ही वसूल किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से डीलर से जब्त किए गए माल के मामलों में नहीं हुआ है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विधायिका ने इस अनिवार्य परंतुक को बाद में जोड़ा, यह स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा था कि धारा का मुख्य भाग और दूसरा परंतुक एक साथ चलना चाहिए। इसलिए यह मानना मुश्किल है कि 1961 में दूसरे प्रावधान की शुरूआत के बाद, विधायिका का इरादा हो सकता था कि उप-धारा (4) का मुख्य भाग अपने आप कायम रहे। इसलिए हमारी राय है कि उप-धारा (4) दो प्रावधानों के साथ इस संकीर्ण आधार पर आनी चाहिए। इसलिए हम उच्च न्यायालय से

सहमत हैं और उप-धाराओं (4) को रद्द करते हैं, लेकिन उन कारणों से भिन्न कारणों से जो स्वयं उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त थे।

फिर हम इस सवाल पर आते हैं कि क्या अधिनियम की धारा 41 के उप-एसएस (2) और (3) को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया है कि वे संपत्ति रखने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध हैं। व्यापार जारी रखना सही ढंग से रद्द कर दिया गया है। मुख्य कारण जिसने उच्च न्यायालय को उप-धारा (2) को रद्द करने के लिए बाध्य किया, वह यह था कि इसके तहत की गई तलाशी के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि एस. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 उप-धारा (2) के तहत की गई तलाशी पर लागू नहीं होती। यह भी माना गया कि राज्य सरकार को किसी भी अधिकारी को उप-धारा (2) के तहत खोज करने के लिए सशक्त बनाने की शक्ति दी गई थी और इसका मतलब यह था कि निम्न स्तर के अधिकारी को भी सशक्त बनाया जा सकता था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने उप-धारा (2) को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसने तलाशी की मनमानी शक्ति दी थी जिसे निम्न स्तर का अधिकारी भी कर सकता था। यह सच है कि इस उप-धारा के तहत खोज सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त किसी भी अधिकारी द्वारा की जा सकती है, लेकिन हमारे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सरकार उचित स्थिति के अधिकारियों को खोज करने के लिए सशक्त नहीं करेगी। इस मामले में, हमने पाया कि सरकार ने एक सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी, एक राजस्व निरीक्षक और एक पुलिस उप निरीक्षक को तलाशी लेने का अधिकार दिया। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले डीलरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये अधिकारी इतने निम्न स्तर के हैं कि उचित देखभाल और सावधानी के साथ खोज करने के लिए उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। हम यह भी नहीं भूल सकते कि इस तरह के मामले में सरकार को तलाशी के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च दर्जे के अधिकारी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के दायरे में आने वाले डीलरों की संख्या पूरे राज्य में हो सकती है, और यदि ऐसी तलाशी होती है इसे केवल उच्च अधिकारियों द्वारा ही बनाया जा सकता है, ऐसा करने के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे। तथ्य यह है कि अधिनियम सरकार को किसी भी अधिकारी को सशक्त बनाने की शक्ति देता है, इसलिए हड़ताल करने का कोई कारण नहीं है। इसे कम करें, जैसा कि हमने कहा है, सरकार यह देखेगी कि उचित स्थिति वाले अधिकारी सशक्त हों। न ही हम यह सोचते हैं कि एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी या राजस्व विभाग का एक निरीक्षक या पुलिस विभाग का एक उप-निरीक्षक इस प्रावधान के तहत खोज करने के लिए उचित स्थिति का अधिकारी नहीं है।

हमारी यह भी राय है कि यद्यपि उप-धारा (2) स्वयं कोई सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करती है और उस आधार पर आपत्ति के लिए खुला हो सकता है, उप-धारा (2) के परंतुक में एक प्रावधान है जो यह सब

निर्धारित करता है इस उपधारा के अंतर्गत खोजें, जहां तक संभव हो, की जाएंगी। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान , जहां तक संभव हो, उप-धाराओं के तहत की गई सभी खोजों पर लागू होते हैं। (2). ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में, पार्टियों के साथ-साथ न्यायालय ने भी मान लिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 उप-धाराओं के तहत तलाशी पर लागू नहीं होगी।(2) हम इस धारणा के लिए कोई वारंट नहीं देख सकते हैं। प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि इस उप-धारा के तहत की गई सभी खोजें, जहां तक संभव हो, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। इस प्रकार तलाशी से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित सभी प्रावधान, जहां तक संभव हो, उप-धाराओं (2) के तहत खोजों पर लागू होंगे। इनमें से कुछ प्रावधान अध्याय VII में निहित हैं लेकिन ऐसा एक प्रावधान धारा 165 में निहित है। यह सच है कि वह धारा विशेष रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को संदर्भित करती है। लेकिन जब प्रावधान इस उप-धारा के तहत की गई सभी खोजों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करता है, जहां तक संभव हो, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि क्यों धारा 165 लागू नहीं होनी चाहिए, यथोचित परिवर्तनों के साथ, उप-धारा के तहत की गई खोजों पर -स.(2). इसलिए हमारी राय है कि धारा 165 में दिए गए सुरक्षा उपाय उप-धाराओं के तहत की गई खोजों पर भी

लागू होते हैं। (2). ये सुरक्षा उपाय हैं- (i) अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि कर की वसूली के उद्देश्य से आवश्यक कुछ भी उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, (ii) उसकी राय होनी चाहिए कि ऐसी चीज अन्यथा अनुचित देरी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, (iii) उसे अपने विश्वास के आधारों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, और (iv) जहां तक संभव हो उसे ऐसे लिखित में निर्दिष्ट करना होगा कि किस चीज़ की खोज की जानी है। ये काम करने के बाद वह खोज कर सकता है। ये सुरक्षा उपाय, जो हमारी राय में उप-धाराओं (2) के तहत खोजों को लागू करते हैं, यह भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उप-धाराओं के तहत खोज करने की शक्ति मनमाना नहीं है। संहिता के अध्याय VII में प्रदान किए गए इन सुरक्षा उपायों और अन्य सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति रखने और व्यापार करने के अधिकार पर प्रतिबंध, यदि कोई हो, को रोकने का कोई कारण नहीं दिखता है। उप-धारा (2) खोज के उद्देश्य, अर्थात् कर चोरी की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रतिबंध नहीं है।

इसके बाद हम उप-धारा (3) पर आते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उप-धारा (2) का पूरक है। यह उन सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त प्रदान करता है - जिनका अनुपालन उप-धारा (2) के तहत तलाशी लेते समय करना होता है, कि अधिकारी खाते आदि को जब्त कर सकता है यदि उसके पास संदेह करने का कारण है कि कोई डीलर चोरी करने का

प्रयास कर रहा है। अधिनियम के तहत उससे देय किसी भी कर आदि का भुगतान। इसमें यह भी प्रावधान है कि उसे अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा और हमारी राय है कि खातों को जब्त करने से पहले इन कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें आगे प्रावधान है कि डीलर को एक रसीद दी जाएगी, और इसका मतलब यह है कि जब भी खाते आदि जब्त किए जाएं तो रसीद दी जानी चाहिए। अंततः यह प्रावधान करता है कि इन खातों आदि को ऐसे अधिकारी द्वारा तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी जांच और अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के लिए आवश्यक हो। हमारी राय में ये पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और उप-धाराओं (3) द्वारा संपत्ति रखने के अधिकार और व्यापार करने के अधिकार पर जो भी प्रतिबंध हैं, उन्हें उचित प्रतिबंध माना जाना चाहिए। हम यह जोड़ सकते हैं कि उप-धारा (3) के प्रावधान में वह अवधि तय की गई है जिसके लिए खातों को जब्त करने वाला अधिकारी उन्हें एक समय में 30 दिन तक रख सकता है। और यदि वह उन्हें अपने पास रखना चाहता है, तो उसे 'हर 30 दिनों के बाद डीलर खातों के लिए अगले अतिरिक्त सुरक्षा की अनुमति लेनी होगी', जब तक कि किसी उच्च अधिकारी ने 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए खातों को बनाए रखने की अनुमति न दी हो। इसलिए हम उच्च उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते कि अधिनियम के एस. 41 के उप-एस.एस. (2) और (3) में संकेतित कारणों से संपत्ति रखने या व्यापार करने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध हैं।हमारी राय है

कि ये उचित प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुछेद 19 के कलाज (5) और (6) द्वारा संरक्षित हैं।

अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अधिनियम के एस. 41 के उप-एस.एस. (2) और (3) की व्याख्या और वैधता के बारे में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें अपील में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए। हमने पहले ही संकेत दिया है कि उच्च न्यायालय ने माना कि आवासीय आवास की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वारंट खराब था क्योंकि इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने इसे जारी करने के सवाल पर अपना दिमाग नहीं लगाया था, चूकि कुछ अंश ऐसे थे जिन्हें मुद्रित रूप से हटा दिया जाना चाहिए था और जो कमियाँ थीं उन्हें भरा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

हमारे सामने उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि एक उचित और संबंधित व्यक्तियों को उचित अवसर यह दिखाने के लिए नहीं दिया गया कि जब्त किए गए माल का उनके हिसाब-किताब उचित हिसाब नहीं रखा गया था। हालाँकि यह खोज अब भौतिक नहीं है हमने माना है कि उप-धारा (4) पूरी तरह से गिरती है। इसलिए यह इस प्रकार है कि आधार पर आवासीय आवास की खोज से जो कुछ भी बरामद हुआ है इस दोषपूर्ण वारंट को वापस किया जाना चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि जो कुछ भी जब्त किया

गया है, उसे भी वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने माना है कि उप-धाराएं (4) गिरनी चाहिए। जहां तक खातों आदि का सवाल है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन तब नहीं किया गया था जब तलाशी ली गई थी क्योंकि सभी ने सोचा था कि प्रावधान उप-धारा (2) के तहत खोज पर लागू नहीं था। इसलिए, चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार की दोषपूर्ण खोज पर बरामद की गई किसी भी चीज़ को वापस किया जाना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिट याचिकाओं को अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश कायम रहना चाहिए, हालाँकि हम उच्च न्यायालय की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं कि उप-एसएस.(2) और (3) संपत्ति रखने और व्यापार करने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध होने के आधार पर असंवैधानिक हैं।इसलिए अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। कानून के मुख्य प्रश्न पर हमारे निर्णय के मद्देनजर, हम पक्षों को सभी अपीलों में अपनी लागत स्वयं वहन करने का आदेश देते हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

आर. क. पी. एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिल पारवानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***